

25.11.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा वाद-पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नही कि जा रही है उभयपक्ष अधिवक्ता को बार बार नोट करवाया गया। उपस्थित नही आए। उभयपक्ष अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। उभयपक्ष अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वादपत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

